

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
67 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015

तारीख दायरा
14.07.2015

तारीख निर्णय
06.04.2023

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—श्री सोहन लाल जैन पुत्र श्री त्रिलोक चन्द जैन विक्रेता मैसर्स सोहन किराणा स्टोर मेन
मार्केट कठमाणा तह. पीपलू जिला टोंक निवासी मेन मार्केट कठमाणा तह. पीपलू जिला टोंक
2—श्री विनोद कुमार सेठिया पुत्र श्री डी. आर. सेठिया पार्टनर मैसर्स श्री श्याम इन्टरनेशनल,
अरावली मार्ग, जल पथ, अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर निवासी 83/75 जल पथ
मानसरोवर जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की
उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अभिभाषक श्री रईस अहमद उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 06.04.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक
26.04.2015 को समय 11:54 पी.एम पर मैसर्स सोहन किराणा स्टोर मेन मार्केट कठमाणा तह.
पीपलू जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सोहन लाल जैन पुत्र श्री त्रिलोक चन्द जैन मिला, को
अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सोहन लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान
का एफ.बी.ओ. / मालिक होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ हल्दी पावडर जी.डी.एम.
किचन मसाले (Turmeric Powder G.D.M. Kitchen Spices) के 500 ग्राम के 7 नग पॉलीथीन में
रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने
पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सोहन लाल जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों
में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये
व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर
बताकर कि यह हल्दी पावडर जी.डी.एम. किचन मसाले (Turmeric Powder G.D.M. Kitchen
Spices) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 500—500 ग्राम के 4 नग
खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

2270

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पावडर जी.डी.एम. किचन मसाले (Turmeric Powder G.D.M. Kitchen Spices) 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों प्लास्टिक के 4 डिब्बों में अलग-अलग रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-994 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा नमूना कय करते समय विक्रेता श्री सोहन लाल जैन ने मौके पर बतौर मैसर्स श्री श्याम इन्टरनेशनल, अरावली मार्ग, जल पथ, अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर राज. का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1780 दिनांक 27.05.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./254/एक्ट/2015/254 दिनांक 07.05.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया हल्दी पावडर जी.डी.एम. किचन मसाले (Turmeric Powder G.D.M. Kitchen Spices) मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री रईस अहमद एडवोकेट उपस्थित हुए, जवाब पेश किया एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस हल्दी पावडर जी.डी.एम. किचन मसाले (Turmeric Powder G.D.M. Kitchen Spices) विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया हल्दी पावडर जी.डी.एम. किचन मसाले (Turmeric Powder G.D.M. Kitchen Spices) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.04.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
न्याय अतिरिक्त जिला न्यायालय
अतिरिक्त जिला न्यायालय
टॉक-राज0